नगर पालिका परिषद (बोर्ड) जौनपुर की बैठक दिनांक 31-7-2001 में उपस्थित मान्य सभासद।

1.	श्री दिनेश टण्डन	अध्यक्ष
2.	श्री हाजी अफजाल अहमद	पदेन सदस्य / नगर विधायक
3.	श्री लक्ष्मण सोनकर	सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार सोनकर	"
5.	श्री सुधान्शु सिंह	"
6.	श्री संजय कुमार मौर्य	"
7.	श्री राघवेन्द्र सिंह	"
8.	श्री मनोज कुमार सोनकर	"
9.	श्री संतोष कुमार आर्य	"
10.	कु० माधुरी गुप्ता	"
11.	श्री विवेक उर्फ त्रिवेदन	"
12.	श्री अनवारूल हक	"
13.	श्री गुलाबचन्द	"
14.	श्री शाहिद मेंहदी	"
15.	श्रीमती सविता त्रिपाठी	"
16.	श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया	"
17.	डा० रामसूरत मौर्य	"
18.	श्री वकील अहमद मंसूरी	"
19.	श्री मेंहदी रज़ा	"
20.	श्री मनीष सेठी	"
21	श्रीमती शमशाद	"
22.	श्रीमती शकुन्तला देवी	"
23.	श्रीमती साधना केसरवानी	"
24.	श्री मो० हसीन	"

(हस्ताक्षर)	दिनेश टण्डन
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)	(दिनेश टण्डन)
अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, जौनपुर	नगरपालिका परिषद जौनपुर
31-7-2001	31-7-2001

Scanned with OKEN Scanner

नगरपालिका परिषद (बोर्ड) जौनपुर की दिनांक 31-7-2001 को आयोजित बैठक में सम्पन्न कार्यवाही की कार्य-वृत्ति।

नगरपालिका परिषद, जौनपुर के 26 निर्वाचित पार्षदों में से मान्य 22 पार्षद एवं एक नगर विधायक / पदेन सदस्य उपस्थित हुए, जो बैठक की पार्षद की उपस्थिति पंजिका में प्राप्त किये गये उनके हस्ताक्षर से प्रमाणित है।

बैठक आरम्भ करने से पूर्व नगरपालिका परिषद / सभा अध्यक्ष श्री दिनेश टण्डन ने कहा कि "आज की बोर्ड की इस बैठक में उपस्थित मा० नगर विधायक श्री हाजी अफजाल अहमद, मा० सभासद भाई-बहनों एवं नगरपालिका के अधिकारियों / कर्मचारियों का मैं स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही इस पालिका में आये नये अधिशासी अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं अवर अभियन्ता श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी का परिचय देते हुए उनका स्वागत करता हूँ। बोर्ड की कार्यवाही आरम्भ करने हेतु मैं अधिशासी अधिकारी को निर्देश देता हूँ। इस पर अधिशासी अधिकारी ने मा० अध्यक्ष की अनुमति से बोर्ड की कार्यवाही आरम्भ करने हेतु पालिका कार्यालय अधीक्षक / स्टेनो श्री श्रीमोहन यादव को निर्देशित किया।

प्रस्ताव	निर्णय
1- बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 11-6-2001 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	प्रस्ताव सं० 1 पिछली कार्यवाही वास्ते पुष्टि हेतु पढ़ी गयी। श्री वकील अहमद मंसूरी मा० सभासद ने कहा कि यह बैठक रक्षा बन्धन के पूर्व की जा रही है। मैं सदन में बैठे सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे उन्होंने पिछली कार्यवाही के प्रस्ताव सं० 4 की ओर ध्यान इंगित करते हुए

कहा कि जो दुकानों के किराये के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया था और उस पर चर्चा हुयी और कई सभासद सहित श्री मनोज सेठी ने उस समय एक प्रश्न किया था कि इन्दिरा मार्केट में विवादित दुकानों की सूची दी जाय, इस पर कर अधीक्षक ने सदन को सूची प्राप्त कराने का अनुरोध किया था, किन्तु ऐसी कोई सूची सभासद को नहीं दी गई। तथा पूर्व में मैंने भी एक प्रश्न किया था कि कुल कितने भवनों का एलॉटमेन्ट किया गया है, इसकी भी सूचना दी जाय, किन्तु अभी तक सूची नहीं दी गई। कृपया इसका स्पष्टीकरण कर अधीक्षक दें? हो सकता था कि सूची उपलब्ध कराये जाने पर उसमें पहल करके

31-7-2001

एक निर्णय लिया जाता, जिसकी अपेक्षा की जा रही है। इस पर कर अधीक्षक श्री रामेश्वर दयाल ने कहा कि कुल 28,600 भवन आंकलित हैं और कुछ भवन ऐसे हैं जिसे भवन मालिक द्वारा स्वामित्व का प्रमाण न देने की वजह से आंकलित नहीं हो पाते हैं। तथा कुल दुकानें हैं जो मा० उच्च न्यायालय में लम्बित हैं पुनः कहा कि इन्दिरा मार्केट की 3 दुकानें विवादित हैं।

इस पर अधिशासी अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि, मा० सभासद श्री वकील अहमद मंसूरी साहब की भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। नगर पालिका के सम्बन्धित अधिकारी ने बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन नहीं किया, जबकि उन्हें समय से सूचना उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए था। इसके लिए मैं खेद प्रकाश करता हूँ, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं आश्वस्त करता हूँ कि एक सप्ताह में सूची उपलब्ध करा दी जायेगी और ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करूँगा।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मा० सभासद ने कहा कि प्रस्ताव सं० 5 नालों की सफाई के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता श्री दुबे ने इस सदन में पूर्व बैठक में अवगत कराया था कि बिलासपुर के लेबर नाले की सफाई के लिए आये थे, लेकिन वे शादी-ब्याह के कारण चले गये हैं किन्तु उन्हें जल्द से जल्द बुलवाकर नाला सफाई करा दी जायेगी। जे० ई० श्री दुबे स्पष्ट करें कि क्या वे लेबर आ गये हैं, और कहाँ-कहाँ सफाई अभी नहीं करायी गयी है, तथा अब तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ है। इस पर मा० अध्यक्ष की अनुमति से श्री दुबे अवर अभियन्ता ने कहा कि अब तक रु० 2,80,000/- इस कार्य पर व्यय हुआ है, और लेबर जल्द से जल्द बुलवाकर शेष नालों की सफाई करा दी जायेगी। इस पर मा० सभासद श्री मंसूरी ने पुनः कहा कि आपने आश्वस्त किया था कि एक महीने में सभी लेबर आ जायेंगे और सभी नालों पर लगवाकर सफाई करा दी जायेगी। पुनः श्री मंसूरी ने कहा कि ऐसे कितने नाले हैं, जिसकी सफाई अब तक हो चुकी है बताया जाय। श्री दुबे जे० ई० ने कहा कि कई नाले हैं, जिनका विवरण बताने लगे कि इसी बीच श्री मंसूरी जी ने कहा कि इसका डिटेल बनाकर दिया जाय।

श्री मेंहदी रज़ा मा० सभासद ने कहा कि चर्चा के विषय में मैंने कहा था कि रा-वाटर पम्पिंग की जाली टूट गई है तथा स्टोर रूम खाली कराकर वहाँ के कर्मचारी को दिये जाने व प्रकाश व्यवस्था के लिए मैंने कहा था किन्तु अभी तक कुछ कार्य नहीं हुये, ऐसा क्यों? इस पर जलकल अभियन्ता ने अवगत कराया कि स्टोर रूम में सामान रखे हैं, उसे खाली नहीं किया जा सकता है बल्कि पानी में डूबा है इसलिए नदी का पानी हटने पर व्यवस्था कर दी जायेगी।

आगे श्री मनीष सेठी मा० सभासद ने कहा कि नगर में ऐसे मुहल्ले भी हैं, जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसे देखवा लिया जाय तथा तराई वालों

में पोल नं० 6 से आगे स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ पर कुम्भ मेले से आये हुए राड लगवा दिये जाय। इस पर श्री रामप्रताप मौर्य प्रकाश लिपिक, ने कहा कि वहाँ पर एक पोल जाम होना बाकी है, वह जाम हो जायेगा तो लाइट लगवा दिया जायेगा, इसकी मा० अध्यक्ष जी द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है।

मा० नगर विधायक/पदेन सदस्य श्री हाजी अफ्ज़ाल अहमद ने कहा कि मैंने अभी कुछ बातें सुना। हमारे विधान सभा में सारे डाटे दिये जाते हैं, इसलिए इरा दाया मगा लिया जाय कि सोडियम लाइट कितनी आई है, वह कहाँ-कहाँ लगी हैं। मा० नगर विधायक ने यह भी कहा कि मैं एक दिन मा० अध्यक्ष जी के आवास की ओर से जा रहा था तो देखा कि उस रोड की स्ट्रीट लाइट बन्द है, तब मुझे संतोष हुआ कि जब हमारे अध्यक्ष जी के रोड पर अंधेरा है तो मेरे रोड पर अंधेरा है तो ठीक है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है।

इस प्रकार से प्रस्ताव सं० 1 सर्व-सम्मति से पुष्टि की गई।

(2) विभिन्न समितियों के सभापतियों का चुनाव।	प्रस्ताव सं० 2 पढ़ा गया। सदन में उपस्थित सभी मा० सभासद ने आपस में विचार विमर्श के उपरान्त यह तय पाया कि सभापतियों का चुनाव बाद में हो जायेगा।
3- पालिका दुकानों के मासिक किराया वसूल करने सम्बंधी पूर्व गठित कमेटी की रिपोर्ट सदन के समक्ष सूचनार्थ एवं विचारार्थ।	प्रस्ताव सं० 3 पढ़ा गया। इस पर मा० सभासद श्री मेंहदी रज़ा ने कहा कि जैसा कि इस प्रस्ताव के सम्बंध में पूर्व बैठक में एक कमेटी गठित हुयी थी और कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, किन्तु कमेटी के सदस्य कुछ वजह से तथा समय अभाव के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाये हैं, इसमें कुछ वैधानिक राय लेकर ही रिपोर्ट दी जायेगी, इसलिए इसके लिए कम से कम दो माह का समय दिया जाय। इस पर मा० अध्यक्ष ने दो माह का समय और दिया।
4- रिवाल्विंग फण्ड से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ एवं विचारार्थ।	प्रस्ताव सं० 4 पढ़ा गया। श्री संजय मौर्य मा० सभासद ने कहा कि मा० अध्यक्ष ने घोषणा किया था कि 75, 75 हजार

Scanned with OKEN Scanner

रूपये निर्माण कार्य हेतु सभी सभासद के क्षेत्र में दिये जायेंगे, तो क्या जिलाधिकारी के यहाँ जो फाइल गई है, उसमें अब तक क्या हुआ बताया जाय। इस पर मा० अध्यक्ष जी ने कहा कि परसों मीटिंग में मैंने इस सम्बन्ध में बात जिलाधिकारी से किया था तो उन्होंने कहा कि फुटकर (टुकड़े में) करके धनराशि हर क्षेत्र में नहीं दी जायेगी, बल्कि विकास के लिए एक मुश्त पैसा देंगे। हमजा चिश्ती चान्दपुर रोड को जिलाधिकारी महोदय पास कर रहे हैं। इस पर मा० सभासद श्री संतोष आर्य एवं श्री मनोज कुमार सोनकर ने कहा कि जो शासनादेश इस सम्बन्ध में जो आया है उसमें क्या गाइड लाइन है, उसे पढ़कर सदन को बताया जाय। इस पर अवर अभियन्ता श्री दुबे ने रिवाल्विंग फण्ड का शासनादेश पढ़कर सदन को अवगत कराया कि यह सड़क व नाली निर्माण के लिए शासनादेश है।

आगे श्री मनोज कुमार मा० सभासद ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि हम विकास करेंगे। उन्हें मात्र एक ही सड़क दिखाई दे रहे हैं, पूरा नगर नहीं। इस पर श्री मनीष सेठी मा० सभासद ने कहा कि मा० अध्यक्ष जी इस सम्बन्ध में भेजे गये उस प्रस्ताव को निरस्त कर पुनः 75, 75 हजार रूपये हर सभासद के क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाय। श्रीमती सरिता त्रिपाठी मा० सभासद ने कहा कि मा० अध्यक्ष जी जो 75 हजार रूपये का स्टीमेट आपने मांगा था, तो मेरा कहना है कि जो स्टीमेट है, उसे पास किया जाय, न कि कोई दूसरा कार्य।

आगे कु० माधुरी गुप्ता, मा० सभासद ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया जाय कि हमारे सभासद एक मत के हैं कि सभी सभासद के क्षेत्र के लिए 75, 75 हजार रूपये का जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसे पास किया जाय।

आगे मा० नगर विधायक श्री हाजी अफजाल अहमद ने कहा कि मैंने अभी पूर्वान्चल विकास निधि से 6.00 लाख रूपये चान्दपुर रोड निर्माण के लिये दिया है। सांसद ने भी दिया है। इस प्रकार से कितने लोग एक ही सड़क के लिए धन देंगे। इसके लिए मा० अध्यक्ष जी अपने स्तर से जिलाधिकारी जौनपुर को सूचित करे।

श्री वकील अहमद मंसूरी, मा० सभासद ने कहा कि इस प्रस्ताव में डिटेल नहीं दिया गया है। किन्तु शासनादेश की जो गाइड लाइन है उसकी फोटो कापी सभी सभासद को मिलनी चाहिए। दूसरी बात तो यह है कि अभी मेरे भाई मा० नगर विधायक ने जैसा कहा है कि आपने स्वयं हमजा चिश्ती रोड के लिए पैसा देना चाहते हैं और आपने यह भी कहा कि आपने चान्दपुर रोड के लिए पैसा दिये हैं, इसलिए इस बात से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाय। मैं चाहूँगा कि जैसे मा० नगर विधायक ने चान्दपुर रोड के लिए

पैसा दिये हैं, उसी तरह से मेरा निवेदन है कि हम्जा चिश्ती रोड के लिए भी पैसा देने की घोषणा कर दें। हम्जा चिश्ती रोड का स्टीमेट कितने का है उसे जे०ई० बता दें। इस पर जे०ई० श्री दूबे ने कहा कि 10.20 लाख का स्टीमेट है। इस पर मा० नगर विधायक ने कहा कि 56.00 लाख विधायक निधि में अवशेष है, जो अभी आना है। अगर 56.00 लाख आ जायेगा तो समझ लीजिए कि 10.00 लाख दे दिया जायेगा। इस पर पालिका अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मा० विधायक जी का मैं स्वागत करता हूँ और अनुरोध करूँगा कि नगर की सड़कों एवं नालियों की स्थिति को देखते हुए जो उनके पास फण्ड हो उसे इस पालिका के लिए दे दें तो निश्चित तौर पर नगर में एक अच्छा कार्य हो सकेगा। इसके लिए अधिशासी अधिकारी ने 10.00 लाख के अलावा 25.00 लाख और देने के लिए मा० नगर विधायक जी अनुरोध किया। इस पर मा० नगर विधायक ने कहा कि 9.00 लाख कार्यदायी संस्था के लिए मैं देने के लिए आश्वासन दे रखा है उसमें से 10.00 लाख अवश्य दूँगा। इस पर अधिशासी अधिकारी ने पुनः अनुरोध किया कि जहाँ तक हो सके किसी भी निधि से हो उसे दिया जाय। इस पर मा० नगर विधायक ने पुनः कहा कि निश्चित तौर पर मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन यदि व्यवस्था बनी तो 25.00 लाख भी दे सकता हूँ।

5- पालिका लेखा विभागीय आख्या बाबत तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री सतीशचन्द्र मिश्र के कार्य-काल के दौरान पालिका कार्यों हेतु वाद-व्यय के रूप में पालिका के लिपिक श्री रामजी उपाध्याय एवं श्री इरशाद हुसैन एवं श्री हातिम हसन द्वारा पालिका से लिये गये एडवान्स धनराशि कुल रू० 73,700/- का समायोजन न होना एक गम्भीर वित्तीय दुरुपयोग सम्बन्धी प्रकरण सदन के समक्ष विचारार्थ।	प्रस्ताव सं० 5 पढ़ा गया। इस पर मा० सभासद श्री मनोज कुमार सोनकर ने कहा कि क्या अन्य कोई कर्मचारी ऐसा है, जिसके यहाँ एडवान्स का बकाया है, उसे भी बताया जाय। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री मेंहदी रजा मा० सभासद ने कहा कि जहाँ तक समायोजन की बात है उसके लिए क्या नोटिस दी गयी है, वाद व्यय की बात क्यों? सभी प्रकार के एडवान्स की बात आनी चाहिए। अब तक जितने लोगों ने एडवान्स लिया है, उसकी सूची सदन में प्रस्तुत की जाय। पालिका लेखाकार द्वारा सदन में एडवान्स रजिस्टर लाकर पढ़कर सदन को अवगत कराया, किन्तु

Scanned with OKEN Scanner

सम्बन्धित लिपिक श्री आशीष कुमार के अवकाश पर रहने के कारण स्थिति पूर्ण स्पष्ट नहीं कर सके।

श्री वकील अहमद मंसूरी मा० सभासद ने कहा कि हमारे सभासद भाई ने बहुत ही गम्भीर प्रश्न उठाया है, यह प्रस्ताव कैसे आया? जो प्रक्रिया इस मामले में अपनाई जानी चाहिए वह प्रक्रिया अपनाई गई है। अभी तक यह नहीं बताया गया कि किस-किस कर्मचारी के नाम से धनराशि एडवान्स है। इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर सूचना दी गयी है कि नहीं। वाद व्यय जो किया गया, वह धारा 120(क) के तहत निदेशक से स्वीकृति ली गई है॥ राजस्व एवं निदेशक से स्वीकृत प्राप्त किया जाय। हम लोग एक अच्छे माहौल में नगर विकास हो इसको देखते हुए वाद व्यय एवं एडवान्स रजिस्टर को तुरन्त सदन में मंगवाने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी ने कहा कि शासन जो वाद के लिए कार्यवाही हेतु निर्देश देती है, इसके लिए वह स्वीकृत देती है, किन्तु जो लोकल वाद में खर्च होता है, उसके लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी स्वीकृत देता है। आगे श्री मनोज कुमार मा० सभासद ने कहा कि क्या यह प्रस्ताव लेखा विभाग द्वारा लाया गया है? लेखाकार ने बताया कि नहीं लेखा विभाग से जितनी रिपोर्ट मांगी गयी थी उसे लेखा विभाग ने दिया है। एडवान्स रजिस्टर लेखाकार ने सदन में प्रस्तुत कर कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम से निकले एडवान्स की जानकारी सदन को दी।

आगे अधिशासी अधिकारी ने कहा कि एडवान्स के समायोजन के लिए कुछ कर्मचारियों ने दिया है, लेकिन उसका समायोजन नहीं हुआ। हमारा यह कहना है कि यह मामला यहीं स्थगित कर दिया जाय। अगली बैठक में इस मामले को प्राथमिकता पर रखा जायेगा। इस बिन्दु को लेखाकार को देख लेना चाहिए था और उस पर बात कर लेना चाहिए था। हमें जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि इसमें 90% लोगों ने अपना समायोजन करा लिया होगा। हो सकता है कि जिन लोगों के नाम लिखा गया है वे लोग भी समायोजन के लिए वाउचर आदि दे दिये गये होंगे। इस पर मा० सभासद श्री संजय मौर्य ने कहा कि बैठक के पहले एजेन्डा के साथ सूची संलग्न करके दिया जाय।

6- प्रस्ताव बाबत जलकल विभागीय आख्या दि० 10-7-2001 बाबत जनता को शुद्ध पेयजलापूर्ति करने हेतु पानी को शुद्ध करने के लिए 9 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर रु० 1,06,822=80 पै० तथा 60 मीट्रिक टन एल्यूमिना फेरिक ग्रेड-2 क्रय करने हेतु रु० 1,48,800/- के साथ फ्लोटिंग अतिरिक्त व्यय को बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ।	प्रस्ताव सं० 6 पढ़ा गया, जो जनहित को देखते हुए सर्व-सम्मति से स्वीकार किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

7- जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में स्लाटर हाउस अन्यत्र हटाने सम्बन्धी निर्माण विभागीय प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ।

प्रस्ताव सं० 7 पढ़ा गया। श्री संजय मौर्य मा० सभासद ने कहा कि यह प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आया है, इसलिए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नगर से बाहर गाँव की जमीन लेकर उस पर स्लाटर हाउस बनवाया जाय। आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मा० सभासद ने कहा कि धारा 237 के अन्तर्गत जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि वह वधालय को जनहित में जैसा चाहें हटा सकते हैं, पूरा सदन इससे सहमत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नगरपालिका के पास ऐसी कोई भूमि है, यदि है तो उसे बताया जाय। इससे मा० अध्यक्ष की अनुमति से श्री विजय शंकर राजस्व निरीक्षक ने बताया कि ऐसी कोई भूमि पालिका के पास उपलब्ध नहीं है। आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मा० सभासद ने दूसरी बात कहा कि मैं वधालय के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि पूर्व में वधालय शुल्क 1=00 लिया जाता था और अब शासन द्वारा 20/- वधालय शुल्क लगाने की बात कही गयी है, जबकि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं थी। उसकी व्यवस्था होने के बाद वे लोग 20/- शुल्क देने को तैयार हैं। 26-11-2000 की बैठक में स्वीकृत मिलने के बाद श्री शेषनाथ राय तत्कालीन जे० ई० ने वहाँ पर श्री फारूक ठीकेदार से काम लगवाया। चूँकि स्टीमेट नहीं बना था 24-6-2000 को जो बैठक हुयी थी, उसमें स्टीमेट बनाकर स्वीकृत हेतु लाया गया उसके बाद अगली बैठक दिनांक 21-9-2000 में उसका प्रस्ताव आया। उस समय परिस्थिति ऐसी रही कि प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाया, लेकिन उस ठीकेदार जिसने काम किया उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। वर्तमान सभासदगण ने अपनी प्रबल संस्तुति करके श्री फारूक ठीकेदार के भुगतान के सम्बन्ध में लिखा है। मैं सभी से चाहूंगा कि उसको स्वीकृत कर भुगतान की कार्यवाही हेतु सहमति दें। इसी तरह से कोई दूसरा ठीकेदार श्री खरपत्तू हैं, जिन्होंने दुर्गा पूजा में उस समय कार्य किया था, लेकिन उसकी पत्रावली नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी ठीकेदार ने कार्य किया है और पत्रावली गायब है तो वर्तमान में जो जे० ई० हैं, उनसे जाँच करा लिया जाय और उन्हें भुगतान किया जाय। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पालिका के पास भूमि नहीं है कि स्लाटर हाउस बन सके, इसलिए जिलाधिकारी चाहें तो गाँव में जो जमीन हो तो वहाँ जमीन दे दें तो वहाँ स्लाटर हाउस बनवाया जाय।

इसपर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जो बात मा० सभासद द्वारा उठाई गई है उसकी पत्रावली यदि हो तो उसे रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में जे० ई० से बात करके कार्यवाई कर दी जायेगी। आगे श्रीमती साधना केसरवानी मा० सभासद ने कहा कि स्लाटर हाउस हटाने के प्रस्ताव से मैं भी सहमत हूं, यह वहाँ से हट जाये तो बहुत अच्छा होगा। श्री मनोज कुमार मा० सभासद ने कहा कि स्लाटर हाउस हटने से पहले स्लाटर हाउस की उचित व्यवस्था कर दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

8-	पालिका जीप सं० यू०पी० 62-सी-1600 की मरम्मत स्टार मोटर एजेन्सी, नईगंज जौनपुर से जनहित में बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में कराई गई, जिसपर रू० 55920/- व्यय हुआ है, परिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं स्वीकृतार्थ।	प्रस्ताव सं० 8 पढ़ा गया, जिसे पालिका एवं जनहित में सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।
9-	मा० सभासद श्री संजय कुमार मौर्य का प्रस्ताव जिसपर नगर विधायक, विधान परिषद सदस्य सहित 23 मान्य सभासदों के हस्ताक्षर से प्रस्तुत पत्र बाबत नगरपालिका इण्टर कालेज राजाबाजार का नाम पूर्व अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य स्व० सीताराम यादव के नाम से "सीताराम यादव नगरपालिका इण्टर कालेज" कर दिया जाय, सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु।	प्रस्ताव सं० 9 पढ़ा गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
10-	शासन द्वारा जलमूल्य की निर्धारित दर रू० 50/- जिसे बोर्ड प्रस्ताव सं० 6 दिनांक 27-3-2001 द्वारा रू० 10/- प्रतिमाह प्रतिकनेक्शन निर्धारित किया गया था, पर शासन के आदेश दि० 14 जून 2001 द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक प्रस्ताव परिषद के समक्ष सूचनार्थ।	प्रस्ताव सं० 10 पढ़ा गया। इसपर मा० सभासद श्री मेंहदीरज़ा ने कहा कि क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेश से 10/- के हिसाब से वसूली चालू है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि बोर्ड ने जो 10/- के हिसाब से वाटर चार्ज की वसूली पास किया था, जिसे शासन ने प्रतिबन्ध लगा दिया था और मा० उच्च न्यायालय ने शासन के ~~आदेश~~ प्रतिषेध आदेश ~~किया~~ को रद्द कर दिया, तो क्यों न 10/- के हिसाब से

आज से ही वसूली सुनिश्चित की जाय। क्योंकि मा० उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए इसका अनुपालन हो। लीगल एडवाइजर की जहाँ तक बात है वह बाद में लेते रहें, लेकिन मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन आज से ही किया जाय। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश तहत कार्यवाही की जायेगी, किन्तु विधिक परामर्श आवश्यक है। इसलिए विधिक परामर्श लेकर जल्द ही तदनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी। उन्होंने ~~सदन~~ को अवगत कराया कि शासन ने बोर्ड को सुदृढ़ करने हेतु वाटर चार्ज के बारे में निर्देश दिया है, किन्तु इस समय लगभग 12500 वाटर कनेक्शन हैं। वाटर चार्ज का छूट वाटर टैक्स में मिलता है। ऐसी स्थिति में 1/2 इंच पाइप कनेक्शन पर वाटर चार्ज 10/- लेने का ~~से~~

निर्णय तो हो गया है, किन्तु जो नान्डोमेस्टिक और व्यावसायिक कनेक्शन हैं उनसे क्या लिया जाय। जो घरेलू कनेक्शन हैं उनसे 10/- लिया जाय। आगे श्री मेहदीरज़ा, मा० सभासद ने कहा कि अभी हम यह चाहेंगे कि, कामर्शियल पर अभी वाटर चार्ज न लिया जाय, इसे अगले बैठक में लाया जाय।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी, मा० सभासद ने कहा कि मा० अध्यक्ष जी अभी बात चल रही है शासनादेश के अनुसार वाटर चार्ज के रेट पर जो पास हुआ है। अभी अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 12500 वाटर कनेक्शन हैं तो मैं चाहता था कि कितने भवन अलग हैं अगर देखा जाय तो कुल भवन का 25% भी पानी कनेक्शन नहीं है। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि नगर में जो आवश्यक व्यवस्थायें नागरिक सुविधा के लिए हैं, वह बोर्ड के सीमित साधन से हैं। ऐसी गलियाँ, मुहल्ले हैं, जहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। जिन व्यक्तियों को हम एक बूंद पानी नहीं दे पा रहे हैं तो हम कैसे उनसे वाटर चार्ज के लिए कहें। नगर के मुख्य मार्गों सहित गलियों में भी जगह-जगह गड्ढे खोदकर लोग पानी ले रहे हैं, इसलिए हम सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि 10/- के हिसाब से वसूली किया जाय, और हमारे अध्यक्ष जी जनता की इस स्थिति को देखते हुए 24 घन्टे में इसे लागू करने का निर्देश दिया। इससे जनता में मा० अध्यक्ष जी की छवि अच्छी बनी है। पता नहीं किस कारण शासन ने मा० अध्यक्ष जी को इस विषय में कारण बताओ नोटिस दिया। मैं शासन के इस प्रस्ताव की असहमति सदन की ओर से व्यक्त करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने शासन के प्रतिषेध सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और मा० उच्च न्यायालय ने उसमें स्टे कर दिया और सदन ने जो 10/- की दर से वसूली पास किया था, उसे ही माना गया है। इसलिए मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए सदन की गरिमा को समझते हुए मैं मा० अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि वह घोषणा करें कि 10/- प्रतिकनेक्शन प्रतिमाह के हिसाब से कल से वसूली आरम्भ की जाय। मा० अध्यक्ष ने निसंकोच होकर सदन की भावनाओं और निर्णय को देखते हुए निर्देश/घोषणा किया कि कल से 10/- के हिसाब से जलमूल्य की वसूली की जाय।

11- अन्य विषय मा० अध्यक्ष की अनुमति से:-

(1) मा० अध्यक्ष ने कहा कि दिनांक 29-5-2001 को हुयी बोर्ड की बैठक में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री सतीशचन्द्र मिश्र के विरुद्ध

सर्वसम्मति से पारित निन्दा प्रस्ताव को शासन द्वारा प्रतिषेध कर दिया गया है, जिसे सदन में पढ़ा गया।

इस पर श्री मनोज कुमार मा० सभासद सहित श्री वकील अहमद मंसूरी श्री संजय मौर्य सहित सदन में उपस्थित सभी सभासद ने इस बोर्ड की गरिमा का हनन बताते हुए कहा कि जैसा कि एक प्रस्ताव शासन ने वारर चार्ज बहाली के विषय में प्रतिषेध कर दिया था और मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने पर मा० न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया उसी तरह शासन के इस ~~प्रस्ताव~~ प्रतिषेध निर्देश के बारे में भी मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु मा० अध्यक्ष जी को पूरा सदन एक मत होकर अधिकृत करता है। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

(2) श्रीमती सरिता सोनकर मा० सभासद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में पढ़ा गया, जो निम्न है:—

1- कालीकुन्ती (शास्त्रीनगर) मैहर देवी मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग की सड़क और नाली निर्माण।

2- रुहट्टा से लेकर जो रोड सपना आइस फैक्ट्री से मैहर देवी मंदिर पवित्र धाम लिंक मार्ग की सड़क और नाली निर्माण।

3- पड़ोसी जिलों से अपने नगर में प्रवेश स्थलों पर स्वागतद्वार का निर्माण।

(2)(2) श्री वकील अहमद मंसूरी, मा० सभासद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में पढ़ा गया, जो निम्न है:—

1- मा० अध्यक्ष एवं मान्य सभासदों को मानदेय देने हेतु प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।

2- पालिका सीमान्तर्गत जिन मकानों का कर निर्धारण नहीं हुआ है यदि इनके कब्जाधारकों द्वारा कर निर्धारण हेतु आवेदन किया जाता है तो वरीयता के आधार पर शीघ्र कर निर्धारण किया जाये, इससे बोर्ड की आय में वृद्धि होगी।

3- उपभोक्ताओं के द्वारा लिये गये अवैध कनेक्शनों को एक अभियान चलाकर इनसे एक कुछ धनराशि जमा कराकर कनेक्शन को वैध कराया जाय, जिससे बोर्ड की आय में वृद्धि होगी।

4- पानदरीबा रोड, मजकरी, मुफ्तीयों हल्का, बाजारबुआ, ताड़तला, कोतवाली रोड, स्लाटर हाउस से कान्वेन्ट स्कूल तक की रोड की दशा काफी खराब है, ~~इसे~~ इन सड़कों का आगणन तैयार कराकर शीघ्र निर्माण कराया जाये।

(3)(3) श्री संजय कुमार मौर्य, मा० सभासद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में पढ़ा गया, जो निम्न है:—

1- तहसील कार्यालय से खालसपुर पुलिया तक सड़क सुधार।

2- खालसपुर में पूर्व अध्यक्ष के घर से भगवानदास के घर तक सड़क सुधार।

3- खालसपुर पुलिया से शिया कालेज तक खड़न्जा व पुलिया निर्माण।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त तीनों मा० सभासद के अग्रिम प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में पढ़े जाने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए शासन से धन उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्य कराये जायेंगे।

चर्चा के दौरान श्री मनोज कुमार मा० सभासद ने कहा कि नगर में लोगों द्वारा पाइप लाइन को काटकर पानी लिया जा रहा है और नल खुले रहने से पानी का अपव्यय होता है। इस पर रोक लगाना आवश्यक है। इसके लिए अधिशासी अधिकारी, जलकल अभियन्ता को मा० अध्यक्ष जी निर्देश दें कि वे इसकी जाँच कराकर ऐसे व्यक्तियों को नोटिस दें। इस पर मा० अध्यक्ष ने कहा कि यह अच्छा प्रस्ताव है। इसलिए इस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है, इसलिए मा० अध्यक्ष ने निर्देश दिया।

आगे श्री नबील अहमद अंसारी, मा० सभासद ने कहा कि नगर में लगभग 40% वैध कनेक्शन होंगे और 60% अवैध कनेक्शन होंगे। मैं चाहूँगा कि एक योजना तय करके योजना के अंतर्गत एक मुश्त पैसा जमा करा कर अवैध कनेक्शन को लीगल करा दिया जाय। इसके लिए एक निर्धारित धनराशि तय कर ली जाय। इसके लिए अभियान भी चलाया जाय, जो धनराशि जमा करते हैं, उनका कनेक्शन वैध कर दिया जाय और जो नहीं जमा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाई की जाय।

आगे श्री मनोज कुमार मा० सभासद ने कहा कि पिछली बार ऐसे कार्य हेतु रू० 350/- निर्धारित हुआ था। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि यह बहुत कम धनराशि है, वैध कनेक्शन करने के लिए कम से कम 500/- निर्धारित होना चाहिए। इसपर मा० सभासद ने कहा कि पहले 400/- फिर बाद में कहा कि ठीक है रू० 500/- धनराशि निर्धारित किया जाता है, जो सर्वसम्मति से 500/- अवैध कनेक्शन को वैध करने के लिए धनराशि जमा कराना स्वीकार किया गया। आगे श्री मनोज कुमार मा० सभासद ने पुनः कहा कि इसके लिए समाचार पत्र के माध्यम से तथा लाउडस्पीकर से पूरे नगर में प्रचार करा दिया जाय कि वे 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र देकर अपने अवैध कनेक्शन को वैध करा लें, अन्यथा अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्यवाई की जायेगी।

श्री संतोष कुमार आर्य, मा० सभासद ने मा० अध्यक्ष जी को एक पत्रक देकर अनुरोध किया कि जो शासनादेश आते हैं, उसकी जानकारी मा० सभासदों को नहीं हो पाती है उसे सभी सभासद को दी जाय। इसपर अधिशासी अधिकारी ने बोर्ड को अवगत कराया कि यह प्रथा है कि शासन से जो शासनादेश आयें उसे सदन की बैठक में रखकर अवगत कराया जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति पूर्व में रही होती तो ऐसी बात नहीं होती। शासनादेश की कापी उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगली बैठक में जो भी शासनादेश आयेंगे, उसे सदन में पढ़कर सुना दिया जायेगा। पुनः श्री आर्य मा० सभासद ने

कहा कि रामगढ़ के क्षेत्र में क्या-क्या कार्य अब तक हुए हैं, और क्या-क्या कार्य हो रहे हैं, उसे सदन को अवगत कराया जाय। इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में किस वार्ड के क्षेत्र में जो भी कार्य होंगे, कार्य की स्थिति के बारे में उनसे लिखित लेकर ही मा० अध्यक्ष के आदेश कराकर पूरी फाइल तैयार कराकर ही भुगतान में आये।

श्री मेहदीरजा मा० सभासद ने कहा कि पिछली दो बैठकों में मछली मार्केट में टेण्डर की बात हुयी थी, टेण्डर हुआ और धनराशि जमा हुयी, लेकिन वहाँ पर मछली विक्रेताओं को कोई सुविधा नहीं दी गयी। अगर यह बात लिखी जा रही है तो कम से कम वहाँ पर टिनशेड एक हफ्ते में लगवा दिया जाय, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी 2001 से अब तक कितनी नामान्तरण की पत्रावलियां बनी हैं, उसमें से अब तक कितने का निस्तारण हो गया है, कितने में आपत्ति लगी है, यह देख लिया जाय तथा जितने में नामान्तरण का आदेश हुआ है, ए० आर० वी० बढ़ाई गई है, उसका टैक्स जब तक जमा न हो जाय, तब तक नाम न चढ़ें तथा जो शेष पत्रावलियां हैं उसका भी शीघ्र निस्तारण हो जाय। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बराबर बोर्ड में यह बात उठी कि नगरपालिका की कुल कितनी दुकानें हैं, यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है और यह भी बताया जाय कि किस सन् से उसका एग्रीमेन्ट हुआ था। मैंने एक पत्रावली देखी कि सन् 1970 में एक एग्रीमेन्ट है, उसमें धारा-7 में नगरपालिका जब चाहे किराया बढ़ा सकती है, तो कम से कम हम किराया तो उस धारा के तहत बढ़ा सकते हैं, जिससे बोर्ड को आय होगी।

इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि शासनादेश सम्भवतः 1992-93 में आया है, उसमें 12% वृद्धि कर दिया जाय। अगली बैठक में यह देखकर कि शासनादेश का अनुपालन हुआ है कि नहीं, बताया जायेगा। जो दुकानें पुनः एलाट करेंगे, उसके सम्बन्ध में अगली बैठक में सूचना देंगे। जहाँ तक एग्रीमेन्ट का प्रश्न है उसे पत्रावली देखकर अगली बैठक में सूचना दिया जायेगा।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मा० सभासद ने कहा कि मैं चर्चा के दौरान यह कहना चाहूँगा कि नगरपालिका सीमा में कितने मकान असेस हुये हैं, कुछ मकान छूटे हुये हैं, हर पाँच में असेस्मेन्ट होना चाहिए, लेकिन सन् 83 से जनरल असेस्मेन्ट नहीं हुआ है। मैं यह भी जानता हूँ कि पूर्व में जनरल असेस्मेन्ट हुआ था और कुछ वार्डों की सुनवाई कर फाइनल हुआ था लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि जो मकान नगर में बन रहे हैं, उनके पानी, सफाई, प्रकाश की जिम्मेदारी नगरपालिका की होती है, इसी के साथ-साथ कुछ समस्यायें भी हैं। कुछ मकानों का असेस्मेन्ट कुछ कारणों से नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग असेस्मेन्ट कराना चाहते हैं, लेकिन उनका असेस्मेन्ट नहीं होता है। एक प्रकरण यह भी है कि एक व्यक्ति एफीडेविट दिया है और 10 वर्ष से मकान बनवा कर रह रहा है। मैं चाहूंगा कि उसे देखवा लिया जाय कि किसका

Scanned with OKEN Scanner

मकान हैं, किसका कब्जा है। अगर कोई विवाद न हो तो उसे फ्रीहोल्ड कर दिया जाय और अगर विवाद हो तो उस क्षेत्र के मा० सभासद से उसकी पुष्टि करा लिया जाय। इसलिए मैं चाहूँगा कि मौके का निरीक्षण कराकर सही जाँच-पड़ताल के बाद उपरोक्तानुसार उन मकानों का असेसमेन्ट कर दिया जाय, इससे बोर्ड को टैक्स से अच्छी आय होगी। इसपर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगरपालिका टाईटिल डिसाइड नहीं करती है, अगर वे अपने स्वामित्व का कोई कागज देते हैं तो उसको स्वामी के रूप में दर्ज करेंगे और यदि कागज नहीं देते हैं तो उसे उपभोक्ता में दर्ज किया जायेगा, लेकिन इसके लिए एक महीने का समय दिया जाय, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

आगे श्री संजय कुमार मौर्य, मा० सभासद ने कहा कि आजकल लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए लाइट विभाग में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये कम से कम 4 आदमी रख लिये जाय, जिससे नगर की प्रकाश व्यवस्था ठीक हो सके। इस पर अधिशासी अधिकारी ने सदन को बताया कि दैनिक वेतन पर आदमी रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन संविदा पर कुछ-कुछ समय के लिये आवश्यकतानुसार आदमी रखा जा सकता है, जैसे 20 दिन के लिए, बीच में 5 दिन गैप करके अर्थात महीने में कुछ गैप करके रखा जा सकता है। प्रकाश लिपिक ने बताया कि कम से कम 4 आदमी की आवश्यकता है। आवश्यकता को देखते हुये बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रकाश विभाग में 4 आदमी को संविदा पर रखने की स्वीकृति प्रदान की।

आगे श्रीमती सविता त्रिपाठी, मा० सभासद ने कहा कि प्रकाश से सम्बन्धित मेरे क्षेत्र में कुछ समस्या है, जैसे बड़े हनुमान मंदिर के पास सोडियम लाइट अभी तक नहीं लगी है। कुछ गली में रॉड खराब है। इस पर प्रकाश लिपिक ने बताया कि उसे आज ही बनवा दिया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मेरे क्षेत्र में सफाई के लिए स्वीपर की कमी है, जे०ई० श्री दुबे को बुलाया था, ~~लेकिन~~ लेकिन वे नहीं आये, जिससे क्षेत्र की सफाई समस्या बनी है। इस पर जे०ई० श्री दुबे को मा० सभासद से सम्पर्क करने हेतु मा० अध्यक्ष ने निर्देश दिया।

आगे कु० माधुरी गुप्ता, मा० सभासद ने कहा कि हमारे वार्ड में 18 सफाई कर्मी हैं लेकिन सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जल ही जीवन है लेकिन हरदेपुर का हैण्ड पम्प खराब है, वह अभी तक नहीं बना है, लेडीज क्लब के पास पानी की समस्या है, उसका भी निदान नहीं हुआ है। शेखपुरा में हैण्ड पम्प खराब है, उसे बनवाया जाय। इसपर जलकल अभियन्ता ने कहा कि खराब हैण्ड पम्प में कुछ सामान लगाना है, जो स्टोर में नहीं है। सामान आ जाने पर लगवा दिया जायेगा। इस पर मा० अध्यक्ष ने तीन दिन में हैण्ड पम्प को ठीक करने का निर्देश दिया।

Scanned with OKEN Scanner

आगे श्रीमती शकुन्तला सेठ, मा० सभासद ने कहा कि स्वालाबीयोला में जल निकासी के लिये जो मड पम्प लगा है, वह प्रातः 7-बजे से 2-बजे दिन तक चलता है, उसके बाद नहीं ऐसा क्यों? इस पर स्वास्थ्य लिपिक श्री शीतला प्रसाद तिवारी ने बताया कि पम्प प्रतिदिन 8 घन्टे चलता है। मा० अध्यक्ष ने कहा कि नगर में जो मड पम्प चल रहे हैं, उसके ईंधन पर काफी खपत हो रही है, जिससे 20 हजार से अधिक भी व्यय आ रहा है, ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए 20 हजार से अधिक होने वाले खपत के व्यय को बोर्ड स्वीकार करे तो जनहित में यह कार्य सुचारू रूप से हो सकता है। इसे सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मा० सभासद ने कहा कि, हमलोग भी चुनकर मा० विधायक, सांसद की तरह आये हैं, उसी तरह पंचायती राज की तरह हम आये हैं। नगर की जनता हम सभासद से अपेक्षा करती है, इसलिए हर गली, सड़क, प्रकाश की व्यवस्था अच्छी चाहती है। सरकार ने हमको कोई अधिकार नहीं दिया है। हमलोग यहाँ बैठकर प्रस्ताव पास करते हैं। जनता मुझसे प्रतिदिन मिलती है। शासन से धन हमें नहीं मिलता है, जिससे जनता की अपेक्षायें पूरा हो सके। ग्राम प्रधानों का एक संगठन पूरे प्रदेश में बनाया गया और सरकार पर भी दबाव पड़ा तो सरकार उन्हें मानदेय देने के लिए तैयार हुयी और ग्राम प्रधान को वित्तीय अधिकार सरकार ने दिया है। मा० अध्यक्ष जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रस्ताव को आप यदि शासन में प्रस्तुत करेंगे तो शासन अवश्य इस पर विचार करेगी। आप प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, सभासदों को बुलाकर एक मीटिंग करके प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए बोर्ड आपको अधिकृत करती है, तभी हम अध्यक्ष एवं मा० सभासदों को मानदेय मिल पायेगा, क्योंकि जनता के कार्यों के लिए हम टाइप करते हैं, रिक्शे पर खर्च करते हैं, मा० अध्यक्ष जी गाड़ी में पेट्रोल खर्च करते हैं। ऐसी स्थिति में हम सभासदगण से चाहेंगे कि इस प्रस्ताव को पास किया जाय और शासन को भेजा जाय, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

11 मा० सभासदों के हस्ताक्षर से प्रस्तुत पत्रक सदन में पढ़ा गया जिसमें पालिका में खुले ओरियन्टल बैंक जो निकट भविष्य में खाली होने की सम्भावना है उसे खाली होने पर सभासद कक्ष के रूप में परिवर्तन कर दिया जाय। इस पर सदन में विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि इसमें कोई बैंक पुनः आ जाता है तो उसे दिया जायगा और यदि दूसरा बैंक नहीं आता है तो उस कमरे को खाली कराकर सभासद कक्ष के रूप में दिया जाय।

अन्य प्रस्ताव में जलकल अभियंता की आख्या दिनांक 20-7-2001 सदन में पढ़ा गया जिसमें लालनबाजार नलकूप का 10 हार्स पावर का सबमर्सिबुल पम्प सेट जो अनसर्विसेबुल हो गया है, उसके स्थान पर

Scanned with OKEN Scanner

नया 10 हार्स पावर का पम्प सेट लगाने हेतु रू० 24,200/- में क्रय किये जाने हेतु अनन्तिम बोर्ड द्वारा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है। जनहित में पेयजलापूर्ति हेतु इस प्रस्ताव पर सदन में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

आगे श्री संतोषकुमार आर्य, मा० सभासद ने कहा कि जो भी त्यौहार अब तक बीते हैं, उसमें पूरे नगर में सफाई, बिजली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है लेकिन सावन मास से सारे त्यौहार शुरू होते हैं और आज त्यौहार है, हनुमान मंदिर के पास मेला लगा हुआ है, किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया और सफाई चूना आदि नहीं हुआ है, कोई भी धार्मिक पर्व हो तो उसे विशेष रूप से देखा जाय। इस पर श्री समीर अहमद, सफाई निरीक्षक ने बताया कि हनुमान घाट तथा मुख्य-मुख्य मंदिर के पास आज प्रातः सफाई करा दी गयी है।

अन्त में श्रीमती साधना केसरवानी माननीय सभासद ने कहा कि मेरी 'सास माँ' का देहान्त हो गया है। उनकी मृत आत्मा की शान्ति के लिए सदन दो मिनट मौन रखे और अनुरोध करूँगी कि उनके त्रयोदशा के दिन सभी लोग मेरे दरवाजे पर आयें। इसी क्रम में श्री मेंहदीरजा मा० सभासद ने एक प्रश्न उठाया कि अभी श्री मंजरी भाई के बड़े पिता मो० सुलेमान जो पालिका के सेवा निवृत्त कर्मचारी थे, उनका देहान्त हो गया है, सूचना देने के बाद भी उनकी शोकसभा नहीं हुयी जो खेद की बात है। मा० अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं दी गयी थी, इसलिए दोनों शोकप्रस्ताव आज ही अभी होगी और शोक सभा हुयी जिसमें दो मिनट मौन रखकर मृतक आत्माओं की शान्ति प्रदान हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गयी।

अन्त में मा० अध्यक्ष ने कहा कि आज की यह बैठक बड़े अच्छे माहौल में सम्पन्न हुई, इसके लिए मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और बैठक समाप्ति की घोषणा करता हूँ।

(हस्ताक्षर)	दिनेश टंडन
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)	(दिनेश टण्डन)
अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, जौनपुर	नगरपालिका परिषद, जौनपुर
31/7/2001	31/7/2001